an>

Title: Need to exempt taxes on insurance policy.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही गंभीर विषय को उठाने का मौका दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम, छपरा शाखा-एक और दो के अभिकर्ताओं और बीमाधारकों के हित में कई बातें हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला, धारा 44 अभिकर्ता अधिनियम, 1938 के अनुसार अभिकर्ता को मिलने वाली सुविधा पूर्ववत् जारी रखी जाए। दूसरा, अभिकर्ताओं को मिलने वाली ग्रेच्युटी को 5,00,000 (पांच लाख) रुपये किया जाए। तीसरा, समूह बीमा की राशि 10,00,000/- (दस लाख) रुपये की जाए, चौथा, अभिकर्ता क्लब नियम में छूट दी जाए। आई.आर.डी.ए द्वारा पारित 18.02.2013 बजट जो अभिकर्ता कमीशन से संबंधित है, उसे लागू किया जाए। डायरेक्ट एवं कैरियर अभिकर्ता को इन्सेंटिव दिया जाए। अभिकर्ता संशोधन विधेयक, 1972 को लागू किया जाए। सी.एल.आई.ए को वेतन एवं कन्वेंस दिया जाए। पॉलिसीधारक को मिलने वाली बोनस की राशि को बढ़ाते हुए प्रीमियम एवं परिपक्वता पर लगने वाली कर से छूट दी जाए।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार को बाध्य किया जाए कि अभिकर्ता के हित के खिलाफ उठाए जा रहे सरकारी कदम रोके जाएं।